

पत्रावली पेश हुई।  
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो मूल नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.10.2018 को पेश हो।

1679  
12/11/2018

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

22/10/2018 सख्तारी पंचायत 3401

प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 19.7.2018 को पारित निर्णयानुसार प्रकरण में प्रस्तावित आवंटन आवेदन दि. अपठनीय के निरस्तकरण तालत राजस्थान शू राजस्व (वृषि प्रयोजनार्थ श्रूमि आवंटन) नियम 1970 में विधि के उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गए हैं। तदनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा ग्राम खिरियाही के ए.नं. 200 की. के आवंटन आवेदन क्रमांक राजस्व/प-8 दि. 21/8/85 द्वारा तलखीलदार शारदा की निरस्त कराने हेतु आवेदनक दस्तावेज की पूर्ति करते हुए राजस्थान शू राजस्व (वृषि प्रयोजनार्थ श्रूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन निरस्त कराने हेतु सम्बन्धित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र तैयार कर 15 दिनों के भीतर सख न्यायालय में पेश करे। पालनार्थ TDR नं. 5 को तैयार जारी हो। तद पालना पत्रावली फाइल में सुमार लेख नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली